भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4757
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

करौली-धौलपुर क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी के मामले

4757. **श्री भजन लाल जाटवः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित
व्यक्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा ऐसी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए अब तक लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के तहत कितने लाभार्थियों को सहायता दी गई है;
(ग) क्या यह सच है कि सिलिकोसिस रोगियों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;
(घ) सहायता के लिए आवेदन करने वाले ऐसे सिलिकोसिस रोगियों की जिलावार सूची का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन अभी तक लंबित हैं; और
(ङ) क्या सरकार का भविष्य में सिलिकोसिस रोगियों को राहत प्रदान करने और सहायता प्रक्रिया को और अधिक
सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कोई नई नीति लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों की खदानों में सिलिकोसिस का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) से (ङ): खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचित रोगों से प्रभावित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। खान मालिकों को ऐसे प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है, जैसे कि खान में ऐसे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना जिसके लिए श्रमिक चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हों, निर्धारित दरों के अनुसार दिव्यांगता भत्ता निर्धारित करना आदि। सिलिकोसिस के मामले में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजा के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रशासित कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कवर किया जाता है।

*****